**Need to provide insurance cover to the crops produced by farmers against natural calamities including ?frost? in Rajasthan under Fasal Bima Yojana- laid**

**श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर):** मैं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की कमियों को प्रकाश में लाना चाहता हूँ। अधिसूचना के पेज 4 व 5 पर मौसम आधारित जोखिमो का विवरण है जिनसे फसल के नुकसान होने पर सम्बंधित बीमा कंपनी द्वारा क्लेम जारी किया जाता है । इनमे ?पाला? शब्द का जिक्र नहीं है जबकि राजस्थान के बहुत हिस्सों का पारा शून्य से भी नीचे जाता है । भारत सरकार द्वारा इस योजना हेतु जारी ऑपरेशनल गाइडलाइन्स के पेज 55 पर पाले से होने वाले नुकसान को मौसम आधारित जोखिमो मे शामिल किया गया है और सीकर जिले की रामगढ़ शेखावाटी व फतेहपुर तहसील मे किसानो की रबी फसलो मे सिर्फ गेहूं का बीमा किया जा रहा है । जबकि उक्त तहसील मे किसानो द्वारा चन्ना व सरसो का भी उत्पादन किया जाता है व जिला स्तरीय तकनीकी कमेटी की सिफारिश पर बैंको द्वारा यहां के किसानो को इन फसलो हेतु केसीसी की सुविधा दी जा रही है । बीमा कंपनी किसानो को क्लेम से वंचित करने के लिए इन फसलो को बीमा के दायरे से बाहर रख रही है ।

मेरा सरकार से निवेदन है कि कृपया इन कमियों को संज्ञान मे लेकर पूरा करे ताकि किसानो को इस योजना का पूरा लाभ मिलता रहे ।